Number of seats filled against seats reserved for various categories

2021-2022



Maharaja Ganga Singh University

A State University of Higher Education for Dignity and Self-Reliance Approved by UGC under Section 12B of the UGC Act 1956
NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan), India
https://mgsubikaner.ac.in



Number of seats filled against seats reserved for various categories

		Number of seats earmarked for reserved category as per GOI or State Government rule					Number of students admitted from the reserved category				
Year	sc	ST	ОВС	Gen	Others	SC	ST	ОВС	Gen	Others	
(2021-22) English	6	5	8	13	8	1	0	9	10	0	
(2021-22) Environmental Science	8	6	13	17	6	0	0	19	7	2	
(2021-22) Geography	19	15	25	49	12	7	1	72	40	0	
(2021-22) History	12	9	17	26	16	14	2	82	43	3	
(2021-22) Law	36	26	47	100	11	19	3	45	122	0	
(2021-22) Microbiology	5	4	6	10	5	4	2	13	9	2	
(2021-22) Rajasthani	6	5	8	13	6	0	1	21	2	2	
(2021-22) Commerce	6	5	8	15	6	0	0	7	15	5	
(2021-22) Drawing And Painting	6	4	8	14	8	1	0	8	14	15	
(2021-22) Library Science	3	2	4	10	1	3	0	3	10	0	
(2021-22) Yoga	18	13	24	53	12	2	1	59	29	3	
(2021-22) Computer Science	28	21	37	90	34	9	1	67	63	10	

Total number of seats earmarked for reserved category as per GOI or State Government rule = 595

Total number of students admitted from the reserved category = 407

RÉGISTRAR W.G.S. UNIVERSITY BIKANER



सन्यमेव जयते

राजस्थान सरकार प्रवेश नीति 2021-22

(राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के लिए)



आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

षष्ठम् भाग

आरक्षण, रियायतें एवं लाभ

- 6.1 राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछडा वर्ग (MBC) (कीमीलेयर को छोड़कर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (EWS) के अम्यर्थियों के लिए आरक्षण।
- 6.1.1 प्रत्येक संकाय की स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछडा वर्ग (MBC) (कीमीलेयर को छोडकर) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिये कमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत, 5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।
- 6.1.2 पिछड़ा वर्ग को प्राप्त 21 प्रतिशत आरक्षण में अति पिछड़ा वर्ग भी सम्मिलित है एवं इसके अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत का अलग से स्थान देय है (संदर्भ कार्मिक (क—2) विभाग के आदेश कमांक प.7(1)कार्मिक/क—2/2017 दिनांक 28.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप—4) विभाग के आदेश कमांक प.18(2)शिक्षा—4/2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019} /आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की पालना सुनिश्चित की जावे। {सन्दर्भ कार्मिक (क—2) विभाग के आदेश कमांक प.7(1)कार्मिक/क—2/2019 दिनांक 22.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप—4) विभाग के आदेश कमांक प.18(2)शिक्षा—4/2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019}

6.1.3 स्नातक, रनातकोत्तर व एम. फिल कक्षाओं में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रणाली लागू होगी।

6.1.4 आरक्षण संबधी लाभ के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट / उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर / तहसीलदार का राजस्थान राज्य की सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने हेतु जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- 6.1.5 ओ.बी.सी. / एम.बी.सी. संबंधी प्रमाण-पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा एक बार ही जारी किया जाता है, परन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण-पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण-पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्षों में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी रिथति में स्वप्रमाणित शपथ-पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण-पत्र को ही मान लिया जावेगा। ऐसा अधिकतम् तीन वर्ष (प्रथम वर्ष मूल प्रमाण-पत्र व शपथ पत्र के साथ आगामी दो वर्षो तक) तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ11()() आर एण्ड पी/सा.न्या.अ.बि/12/7376 409 दि. 24.01.2013)
- 6.1.6 सामान्य प्रवेश स्तर तक अंक प्राप्त करके प्रवेश पाने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की गणना संबंधित आरक्षित नियतांश (कौटे) के अन्तर्गत नहीं की जायेगी। ये सभी सामान्य योग्यता सूची में सम्मिलित किये हुए माने जायेंगे।
- वाग्यता राजा राजा स्थान स्यान स्थान स्थान

- 6.1.8 आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित रथान प्रथमतः आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से ही भरे जायेंगे।
- 6.1.9 यदि संबंधित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो ऐसे आरक्षित रिक्त स्थानों के लिए समाचार पत्र में विज्ञप्ति दी जाये जिसके लिए प्रवेश शुल्क जमा नहीं करवा सकने वाले उसी वर्ग के अभ्यर्थी भी पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।
- 6.1.10 यदि विज्ञप्ति के सात दिवस में कोई आवेदन पत्र नहीं आता है या कम आवेदन पत्र आते हैं तो अनुसूचित जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों से तथा अनुसूचित जन जाति के अग्यर्थियों से तथा अनुसूचित जन जाति के अग्यर्थियों से भरा जा सकेगा।इसके उपरान्त भी यदि किसी आरक्षित वर्ग के स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।
- 6.1.11 बारां जिले के किशनगंज एवं शाहबाद तहसील के सहरिया अभ्यर्थियों के लिए बारां जिले के राजकीय महाविद्यालय, केलवाडा में शासन उप सचिव, कार्मिक (क—2) विभाग राजस्थान सरकार के निर्देश कमांक प.13(20)कार्मिक / क—2 / 91 पार्ट जयपुर दिनांक 12.09.2007 के अनुसार तथा केलवाडा के अतिरिक्त अन्य राजकीय महाविद्यालयों में न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जायेगा।
- 6.1.12 महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के उपरान्त, यदि राज्य सरकार द्वारा सीटों / वर्गों की संख्या में वृद्धि की जाती है, तो उन बढ़ी हुई सीटों / वर्गों के लिए आरक्षण नियमों की पालना करते हुए पृथक प्रवेश सूची जारी की जायेगी।
- 6.1.13 प्रत्येक संकाय के स्नातक प्रथम भाग की प्रत्येक कक्षा में तथा स्नातकोत्तर स्तर एवं एम. फिल. के प्रत्येक विषय / कक्षा में बिन्दु संख्या 6.1.1 से 6.1.11 के अनुसार स्थानों का आरक्षण किया जायेगा एवं तद्नुसार पूर्ति की जायेगी।
- 6.2 दिव्यांग अभ्यर्थी (स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल.)
- 6.2.1 मूक, बिधर एवं दृष्टिबाधित (Blind) विद्यार्थियों को मनोवांछित महाविद्यालय में मनोवांछित संकाय में न्यूनतम उर्त्तीणांक पर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे प्रवेशित विद्यार्थियों की सीटें स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त मानी जावेगी एवं प्राचार्य अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश देने हेतु अधिकृत होंगे।
- 6.2.2 प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में <u>5 प्रतिशत स्थान दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु</u> क<u>्षैतिजवर्ती (HORIZONTAL)</u> आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षित रहेंगे।
- 6.2.3 स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. में आरक्षण विषयवार होगा। जहां यह संख्या एक से भी कम हो, वहां भी कम से कम एक स्थान आरक्षित रहेगा। विव्यांग अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रवेश की प्रथम सूची में इसे सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।
- 6.2.4 बिन्दु 6.2.2 के अनुसार निर्धारित नियतांश में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को 3 प्रतिशत अतिरिक्त अंकों का लाग भी दिया जा सकेगा। परन्तु उक्त लाग किसी भी अभ्यर्थी को नियतांश (कोटा) भरने की पात्रता प्रदान करने हेतु ही देय होगा, योग्यता सूची में उच्च स्थान प्रदान करने के लिए नहीं।
- 6.2.5 निःशक्तजन (दिव्यांग) को निःशक्तता के संबंध में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार विशिष्टीकृत चिकित्सकीय प्राधिकरण द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

Eu